रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 1995/आषाढ़ 9, 1917
No. 383] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 1995/ASADHA 9, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

सं. 6 (आई ई 95) 92-97

नई दिल्ली, 30 जून, 1995

सा.आ. 600(अ).—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1995) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

अध्याय 7 में पैरा 60 के बदले निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"पैरा 51 में उल्लिखित मानक निवेश-उत्पाद मानदंडों में यथा विनिर्दिष्ट मूल्य संयोजन मानदंड मूल्य आधारित शुल्क मुक्त लाइसेंसों पर भी लागू

होंगे। मानक निवेश उत्पाद मानदंडों में गैर-सूचीबद्ध मात्रा-आधारित लाइसेंस और उत्पाद मानदंड का न्यूनतम मूल्य संयोजन 33% होगा । फिर भी, अग्रिम लाइसेंस समिति तकनीकी आधार पर 25% तक किंतु अपवादिक मामलों में 25% से कम मूल्य संयोजन के मात्रा-आधारित लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार कर सकती है।

2. यह सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 6/9/95/आई पी सी-2]

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

No. 6 (RE-95)/92—97

New Delhi, the 30th June, 1995

S.O. 600(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulations Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendment in the Export and Import Policy, 1992—97, (Revised Edition March, 1995) namely :—

In Chapter VII, para 60 shall be substituted by the following:

"Value addition norms, as specified in the standard input-output norms referred to in paragraph 51 shall apply to the value based duty free licences. Quantity based licences and products not listed in the standard input-output norms shall have a minimum value addition of 33%. The ALC may, however, consider requests for grant of quantity based licences on a value addition on technical grounds upto 25%, but in exceptional lower cases even below 25%."

2. This issues in public interest.

[F. No. 6/9/95-IPC. II]

SHYAMAL GHOSH,

Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995